म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

समाचार

बिजली चोरी की सूचना देने वाले को मिलेगी बिलिंग की 10 प्रतिशत राशि
सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखने की गारंटी

जबलपुर, दिनांक 12 अप्रेल 2018,

बिजली चोरी की सूचना देने वालों को बिलिंग राशि की 10 प्रतिशत अधिकतम रू. पांच हजार तक की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जावेगी । म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी निर्देश के अनुसार चोरी की सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा ।

मुख्य महाप्रबंधक प्रवर्तन श्री ए.के.पाण्डेय ने बताया कि आम नागरिकों से दूरभाष, ईमेल, व्हाट्सएप, काल सेंटर अथवा लिखित में प्राप्त होने वाली बिजली चोरी से संबंधित सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जावेगी । बिजली चोरी की सूचना प्राप्त होने पर उस क्षेत्र के अधिकारी द्वारा सूचना का परीक्षण कराया जावेगा । बिजली चोरी की सूचना सही पाये जाने पर बिलिंग राशि का निर्धारण कराया जावेगा । कंपनी को बिलिंग निर्धारण राशि प्राप्त होते ही सूचनाधारी को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि अधिकतम रू. 5 हजार का भुगतान कर दिया जावेगा । कार्यपालन अभियंता द्वारा आवश्यक अनुमोदन के पश्चात बिजली चोरी की सूचना देने वालों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा ।

समाचार क्रमांक 42

(के.पी.श्रीवास्तव)
जनसंपर्क अधिकारी